विनियम क्रमांक- 30

विश्वविद्यालय भवनों का आवंटन

1. वर्गीकरण

क. वर्तमान में शिक्षकों के लिये 14 भवन निर्मित है, जिनका श्रेणीवार निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाता है -

आचार्य- 4 ;टीई-1,टीई-2, टीई-3, टीई-4 द्ध इनमें से एक वार्डन हेतु

उपाचार्य- 5 ;टीई-5, टीई-6,टीई-7, टीई.8, टीई.9 द्ध इनमें से एक वार्डन हेतु

व्याख्याता- 5 ;टीएपफ-1 से टीएपफ 5 तक द्ध

ख. अधिकारी-1 ;एपफ-1 से एपफ-4 तकद्ध इनमें से कोई नहीं

ग. विभागीय अधिकारी/अधीक्षक अथवा समकक्ष वेतनमान के सभी पद-3

एफ-1 से एफ-4 तक इनमें से कोई तीन

घ. सहायक अधीक्षक/ वरिष्ठ कार्य सहायक/समकक्ष वेतनमान के सभी पद-8 जी 1 से जी- 8 तक द्ध

ड. कार्य सहायक एवं समकक्ष वेतनमान - 20 एच 1 से एच 20 तक

च. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 10 आई - 1 से आई - 10 तक

2. आवंटन नियम

1. क- आवंटन से अभिप्रेत होगा, परिसर में स्थित आवासी भवनों का निर्धारित नियमावली के अनुसार आवंटन ।

ख- आवंटन अधिकारी से अभिप्रेत होगा, कुलपति व्दारा भवन आवंटन के लिये गठित समिति ।

ग- कर्मचारी से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी/अधिकारी एवं शिक्षक, जिसमें प्रतिनियुक्ति में आये व्यक्ति शामिल नहीं होंगे ।

2. भवनों का आवंटन निर्धारित श्रेणी एवं अर्हता के अनुसार किया जावेगा ।

3. कार्य परिषद् का निर्णय क्रमांक 24 ;घद्ध दिनांक 20.5.99 व्दारा आवंटन हेतु इस विश्वविद्यालय की कैडर सीनियरिटी को आधार माना जावेगा । यदि दो या अधिक कर्मचारियों की सेवा अवधि समान हो, तो जिनकों अधिक वेतन मिलता हो वे वरिष्ठता क्रम में उफपर होंगे । यदि वेतन में भी समान हो तो जिनकी उम्र ज्यादा हो उनको वरीयता प्राप्त होगी ।

4. जिन कर्मचारियों ;पति/पत्नीद्ध के नाम शहर में अपने निजी मकान हैं, उन्हें भवन आबंटन किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा, तथा वर्तमान में आवासीय भवनों में रह रहे इस तरह के कर्मचारियों से भवन रिक्त कराया जा सकेगा ।

5. पति/पत्नी में से यदि दोनों सेवारत हैं, तो इनमें से किसी एक को ही भवन आबंटन की पात्रता होगी ।

6. पद के अनुरूप निर्धारित श्रेणियों से इतर आवास किसी भी कर्मचारी को आबंटित नहीं किया जावेगा ।

7. समान श्रेणी के आवास में रहने वाले कर्मचारी विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के पश्चात अपने आवासों को बदल सकेंगे ।

8. यदि किसी कर्मचारी को उसके लिये निर्धारित श्रेणी से निम्न श्रेणी का मकान पूर्व से आबंटित है तो पात्र श्रेणी का मकान रिक्त होने पर उसके आवेदन पर विचार किया जावेगा ।

9. कर्मचारियों को आबंटित आवासों में से मात्र उन्हीं परिवार सहित रहने की पात्रता रहेगी । किसी भी स्थिति में संबंधित कर्मचारी आबंटित आवास में किसी अन्य को नहीं रख सकेगा । इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय व्दारा मकान आबंटन रद्द किया जा सकेगा ।

10. नियमावली के प्रकाशन के पूर्व से यदि कोई कर्मचारी अपनी श्रेणी से उफपर की श्रेणी के मकान में रह रहा हो तो उसे उसकी श्रेणी का भवन रिक्तता की स्थिति में आबंटित किया जा सकेगा । आबंटन पश्चात् वह कर्मचारी नये आबंटित भवन में स्थानान्तरित होगा ।

11. लंबी बीमारी अथवा दैवी प्रकोपा से ग्रस्त कोई भी कर्मचारी अथवा उनके आश्रित, सेवा निवृत्त/स्थानान्तरण ेजलसमत्र जमगज.कमबवतंजपवदरूदवदम

लंबी बीमारी अथवा दैवी प्रकोपों से ग्रस्त कोई भी कर्मचारी अथवा उनके आश्रित, सेवा निवृत्त/स्थानान्तरण अथवा उसकी मृत्यु के बाद तीन माह तक मकान में रह सकेंगे, एवं अगले तीन माह तक आवेदन पश्चात् लिखित अनुमति प्राप्त कर रह सकेंगे । छः माह पश्चात् भवन खाली करना आवश्यक होगा ।

12. सेवारत कर्मचारी की यदि सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को विश्वविद्यालय में नियुक्ति होने अथवा उसके आश्रित के विश्वविद्यालय सेवा में पूर्व से होने की स्थिति में, आश्रित की अर्हता अनुसार आवास आबंटित किया जावेगा । अर्हता अनुसार आवास रिक्त न होने की दशा में वह उसी मकान में तब तक रहेगा जब तक कि उसे दूसरा मकान आबंटित न हो जाय । इस हेतु पूर्व वर्णित धारायें शिथिल मानी जावेगी ।

13. यदि कोई कर्मचारी स्वत्वाधिकार रखते हुये विश्वविद्यालय की स्वीकृति से बाह्य सेवा में जाता है तो उसे अधिकतम दो वर्ष तक आवास रखने की सुविधा रहेगी, बशर्ते उसे बाह्य सेवा में संस्था व्दारा आवास उपलब्ध न कराया गया हो । इस हेतु उसे शपथ-पत्र देना होगा ।

14. भवनों में विद्युत कनेक्शन आबंटी को अपने नाम से लेना होगा तथा भवन रिक्त करते समय मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में अनादेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

15. स्थानान्तरण/सेवा निवृत्त होने पर कोई भी कर्मचारी दो माह तक सामान्य दर पर तदुपरान्त विश्वविद्यालय की अनुमति से दो माह तक लायसेंसी पफीस ;सामान्य से दो गुनाद्ध देकर व उसके पश्चात् दो माह तक विश्वविद्यालय की अनुमति से बाजार दर पर लायसेंसी पफीस देकर रह सकेगा । छः माह के पश्चात् किसी भी स्थिति में आवास में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी, तथा मकान न छोड़ने पर उक्त कर्मचारी के विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

16. लायसेंसी पफीस की गणना मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार की जावेगी ।

17. भवन आबंटन में आरक्षण की व्यवस्था मध्यप्रदेश के नियमानुसार रहेगी ।

18. भवन आबंटन हेतु कोई भी भवन रिक्त होने की दशा में एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय यंत्री व्दारा आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे, तथा आबंटन आदेश सक्षम स्वीकृत पश्चात् जारी किये जा सकेंगे ।

19. यह नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित आवासीय भवनों के आबंटन के लिये दिनांक 1.1.99 से प्रभावशील माने जावेंगे ।

20. उक्त वर्णित नियम की व्याख्या अथवा किसी भी विवाद पर कुलपति का निर्णय अंतिम होगा । साा ही अति विशिष्ट स्थिति दर्शाकर, उपर्युक्त नियमों से इतर निर्णय लेने हेतु कुलपति अधिकृत होंगे ।